

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 13/2015

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

श्री भूराराम गोदारा खाध  
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

बाबूसिंह पुत्र प्रेमसिंह  
जाति राजपूत निवासी मोकलसर  
तहसील सिवाना  
(फर्म विष्णू आईसकेन्डी का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।  
2. श्री तरुण व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.08.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.5.2015 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा सरकारी वाहन से बसिलसिले निरीक्षण करते हुए प्रातः 11.00 बजे मै.विष्णू आईसकेन्डी पादरू का पास सिवाना पहुँचने पर उक्त फर्म का मालिक बाबूसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना दुकान में मौजूद मिले। फर्म मालिक से खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु वर्ष 2014 का अनुज्ञा पत्र मांगने पर, नहीं होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) के 100 पैकेट आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए पाये गये। कुल्फी में मिलावट का संदेह होने पर उक्त पैकेटों में से 28 पीस खरीद कर उसका भुगतान 140/- अप्रार्थी बाबूसिंह को किया गया। उक्त खरीदी गई 28 पीस कुल्फी को खोलकर स्टील की एक भगोली, जो उसी दुकान में रखी हुई थी, में डाल कर हिला-हिलाकर एकरूप किया जाकर इसे चार कोंच की साफ सूखी एवं खाली शीशीयो में बराबर-बराकर मात्रा में भरा गया एवं प्रत्येक शीशी में 36-36 बूंद




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी-521 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इनके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये, प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाह ने पेपर स्लीप को क्लॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही रूबरू गवाहो के की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-521 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने के लिए फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, अंकित कर तैयार किया गया एवं एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) नमूना पी-521 की जाँच रिपोर्ट एलएस/354/एक्ट/2015/354 दिनांक 01.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को भेजी जिस पर जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जाँच में कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard as it Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित

न्याय निणयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 521 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन एवं फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री तरुण व्यास हाजिर आये। जिन्होंने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना आरोपित कर, करने का निवेदन किया।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है निरीक्षण के दौरान दिनांक 15.5.2015 को प्रार्थी फर्म का निरीक्षण करने पर कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) के 100 पैकेट आम जनता को बेचने हेतु पाये गये। उक्त कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) में मिलावट होने का संदेह होने पर इसका नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) पी.521 नमूना जॉच में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा कुल्फी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी गांवो से दूध मंगवाकर उसकी कुल्फी बना कर बेचता है। अप्रार्थी का उक्त पहला अपराध है, अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता है। इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध परिवाद समाप्त किया जाए।
5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/एक्ट/354/एक्ट/2015/354 दिनांक 01.6.2015 के अनुसार अप्रार्थी के कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) सैंपल की नमूना जॉच रिपोर्ट में विक्रय की जा रही कुल्फी का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त बाबूसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत पाये गये कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) का नमूना निर्धारित मानक कोटि




का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अभियुक्त बाबूसिंह पर 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 17.08.2016 के एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



  
(ओपीओ बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.08.2016 को चुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओपीओ बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर